न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—407 / 2015 / 223 (2015 / 00359)

1. ईश्वर पुत्र हरिनारायण,
2. जीवन पुत्र हरिनारायण,
3. श्रीमती भूरी देवी पुत्री हरिनारायण,
4. श्रीमती प्रभाती पुत्री हरिनारायण,

जाति जाट, निवासी ढाणी बम्बोरियान, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामलाल पुत्र रामकरण (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— शिवकरण पुत्र रामलाल,
   1/2— किशनलाल पुत्र रामलाल,
   1/3— प्रेमदेवी पुत्री रामलाल,
   1/4— दाखा देवी पत्नि रामलाल,
   1/5— बिरदी देवी पत्नि रामकुंवार (रामकुंवार पुत्र रामलाल)
   1/6— जितेन्द्रसिंह पुत्र रामकुंवार,
   1/7— सुमित्रा देवी पुत्री रामकुंवार,
   1/8— शांतिदेवी पुत्री रामकुवार,
   समस्त जाति जाट, निवासी ढाणी बम्बोरियान, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती गंगादेवी पत्नि स्व0 हरनाथ,
3. सूरजमल पुत्र हरनाथ,
4. छीतर पुत्र सांवता,
5. श्रीलाल पुत्र कल्याण,
6. भागीरथ पुत्र मूलचंद,
7. गोपाल पुत्र मूलचंद,
8. श्योजीराम पुत्र मूलचंद,
9. बंशी पुत्र मूलचंद,
10. छोटू पुत्र मूलचंद,
    समस्त जाति जाट, निवासी ढाणी बम्बोरियामन, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
11. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री मूलचंद पत्नि भैरू, जाति जाट, निवासी गोपालपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
12. श्रीमती सोनीदेवी पत्नि मूलचंद,
13. मगनसिंह पुत्र श्योजीराम,
14. चरणसिंह पुत्र श्योजीराम,
15. मूलचंद पुत्र लादू,
16. जगनसिंह पुत्र लादू,
    समस्त जाति जाट, निवासी ढाणी बम्बोरियानव, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जिला जयपुर दिनांक 20.12.2011 अंतर्गत वाद संख्या 241/2011.

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री दिलीपसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/8.
3. श्री रामावतार, वकील रेस्पो0 संख्या 13 से 16.
4. रेस्पो0 संख्या 2 से 12 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 12.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेंटस के विरूद्ध वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अधी0न्याय0 के समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम कड़वों का बास तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर स्थित भूमि खतौनी संख्या 15 के खसरा नंबर 78 रकबा 0.21 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजियात है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है । लगान सरकारी अदा करते आ रहे है । वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा वाद का प्रमुख अंग है । नजरी नक्शे में दर्शाये गये पीले रंग की आराजी पर वादी एवं गुलाबी रंग की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व हरे रंग की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 12 से 15 काबिज काश्त है । तथा इसी अनुसार तकासमा कराने के अधिकारी है । राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी का तकासमा नहीं होने से पक्षकारान के मध्य आये दिन होने वाले मेर कोर के विवाद का स्थायी समाधान करने के लिए उपरोक्त विवादित आराजी का तकासमा किया जाना आवश्यक है । प्रतिवादी संख्या 1 से 15 जबरन मेर कोर को लेकर वादी के हिस्से की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का वादपत्र में दर्शाये अनुसार विधिक विभाजन किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2011 को वादी स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् दिनांक 28.12.2011 को वाद में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से

निरस्तनीय है । वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 78 रकबा 0.21 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजियात है जिसका पक्षकारान द्वारा पूर्व में ही आपसी बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार खसरा संख्या 78 रकबा 0.21 है0 के उत्तर से दक्षिण की ओर मेड़ बनाकर तीन हिस्से कर रखे है जिसमें पश्चिमी हिस्सा मगनसिंह, चरणसिंह पुत्रान श्योजीराम, मूलचंद व जगनसिंह पुत्रान लादू तत्पश्चात् उक्त 1/3 हिस्सा से पूर्व दिशा में लगता हुआ 1/3 हिस्सा रामलाल पुत्र रामकरण का व इसके लगता हुआ पूर्व दिशा में स्थित अर्थात् खसरा नंबर 78 के संपूर्ण हिस्से का 1/3 पूर्वी हिस्सा हरिनारायण, हरनाथ पिता काना, छीतर पुत्र सांवता, श्रीलाल, भागीरथ पुत्रान कल्याण, गोपाल, श्योजीराम, बंशी, छोटू पुत्रान मूलचंद, प्रेमदेवी पुत्री मूलचंद व सोनीदेवी पत्नि मूलचंद के हिस्से में चली आ रही है । उक्त पूर्वी 1/3 हिस्सा पक्षकारान के आपसी समझोते अनुसार शेष सहखातेदारान द्वारा हरिनारायण के हिस्से में प्रदान की गई जिस पर हरिनारायण तन्हा काबिज रहा तत्पश्चात् अपीलांट हरिनारायण के वारिसान होकर काबिज काश्त चले आ रहे है । इसी अनुसार अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 28.11.2011 को 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार बंटवारा करने हेतु प्राथमिक आज्ञाप्ति पारित की गई है । प्राथमिक आज्ञाप्ति की पालना में राजस्व एजेन्सी द्वारा पक्षकारान के मध्य वर्षों पूर्व हुए आपसी बंटवारे के विपरीत त्रुटिपूर्ण कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण अधी0न्याया0 द्वारा खसरा नंबर 78 के तीन हिस्से करते हुए खसरा नंबर 78 रकबा 0.07 है0 हरिनारायण वगैरह, 78/1 मगनसिंह वगैरह तथा 78/2 रामलाल के नाम अंकित करते हुए अंतिम आज्ञाप्ति दिनांक 20.12.2011 को पारित कर दी जिसकी पालना में अधिकार अभिलेख में अंकन किया जाकर मगनसिंह पुत्र चरणसिंह के नाम खसरा नंबर 78/1 के स्थान पर 1392/78 रकबा 0.7 है0 किस्म गैर मु0 बाड़ा तथा रामलाल के नाम खसरा नंबर 78/2 के स्थान पर खसरा नंबर 1396/78 रकबा 0.7 है0 किस्म गै0मु0 बाड़ा तथा हरिनारायण वगैरह के नाम खसरा नंबर 78 रकबा 0.07 है0 किस्म गे0मु0 बाड़ा अंकित कर दिया । नक्शा ट्रेस में उत्तर से दक्षिण की ओर मेड़ बनाते हुए पश्चिम, मध्य एवं पूर्व की ओर 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार तरमीम करने के बजाय पश्चिम दिशा में चरणसिंह वगैरह के हिस्से की भूमि 78/1 के स्थान पर 1392/78 उत्तर से दक्षिण की ओर मेड़ बनाते हुए सही तरमीम कर दी गई लेकिन शेष आराजियात के मध्य भाग में रामलाल तथा संपूर्ण पूर्वी 1/3 हिस्से में हरिनारायण अर्थात् शेष 2/3 हिस्सो के मध्य भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर मेड़ के दोनों ओर 1/3, 1/3 भूमि तरमीम करने के स्थान पर उक्त 2/3 हिस्से के पूर्व पश्चिम की ओर मध्य भाग में तरमीम करते हुए खसरा नंबर 78 जो हरिनारायण का हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा तथा खसरा नंबर 78/2 जो रिकार्ड में 1396/78 अंकित करते हुए उक्त 2/3 हिस्से के दक्षिणी भाग में अंकित कर दिया अर्थात् 2/3 हिस्सा जो चरणसिंह की भूमि के पूर्व दिशा में लगता हुआ है के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबे दो हिस्से बनाने के बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य से तरमीम करते हए़ 2 हिस्से बना दिये गये । इसी अनुसार तरमीम कर दिया गया जबकि खसरा नंबर 78 रकबा 0.21 है0 के आपसी पारिवारिक बंटवारे के अनुसार हरिनारायण को पूर्वी 1/3 हिस्सा प्रदान किया गया था जिस पर हरिनारायण का पक्का मकान बना हुआ है, लेकिन उक्त मकान को नष्ट करने के इरादे से वादी/रेस्पे0 संख्या 1 को त्रुटिपूर्ण रूप से तरमीम मुर्तिब करवा दी गयी । वादग्रस्त आराजियात गैर मुमकिन बाड़ा की आराजियात है अर्थात् कृषि आराजियात नहीं है एवं उक्त भूमि पर कभी भी कृषि कार्य नहीं किया गया है । इसी कारण ग्राम पंचायत बिचूण द्वारा हरिनारायण के पूर्वी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1/3 हिस्सा की भूमि बाबत् दिनांक 11.10.1972 को पट्टा संख्या 471 रकबा 33 गुणा 29 फुट तथा दिनांक 21.7.1979 को रकबा 19 गुणा 29 फुट का पट्टा जारी किया गया था । ग्राम पंचायत द्वारा तत्समय पट्टा जारी करवाना आवश्यक होना बताने के कारण ग्राम पचांयत बिचूण द्वारा पट्टे जारी किए गए तत्तपश्चात् अपीलांटस के पूर्वज हरिनारायण द्वारा मकान मुर्तिब करवाया गया; लेकिन त्रुटिपूर्ण तरमीम के कारण अपीलांटस का संपूर्ण मकान रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से में तरमीम कर दिया गया तथा उक्त मकान के पीछे अर्थात् उत्तर दिशा में खाली भूमि जिसमें बाड़ा बनाया हुआ है अपीलांटस के नाम तरमीम कर दी गई जबकि उक्त मकान एवं इसके पीछे उत्तर दिशा में अवस्थित बाड़ा अपीलांटस के हक में तरमीम करना चाहिये था तथा अपीलांटस के पूर्वी हिस्से तथा चरणसिंह वगैरह के पश्चिमी हिस्से के मध्य का हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 रामलाल के नाम तरमीम करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने पारित अंतिम आज्ञाप्ति एवं तरमीम त्रुटिपूर्ण रूप से कारित की है तथा वर्षो पूर्व से काबिज तथा पट्टीपोश मकान बनाकर निवासी कर रहे कब्जे की स्थिति के विपरीत जाकर त्रुटिपूर्ण रूप से तरमीम कारित की है जो निरस्तनीय है । यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात अधिकार अभिलेख में गैर मुमकिन बाड़ा अंकित है अर्थात् कृषि भूमि नहीं है एवं ग्राम पंचायत बिचूण द्वारा उक्त भूमि पर आवासीय मकान हेतु सन् 1972 एवं 1979 में आवासीय पट्टा जारी किया जा चुका है जिससे वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि की परिभाषा से बाहर निकल चुकी है । ऐसी स्थिति में विवादित भूमि से संबंधित बंटवारा वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधी0न्याया0 को नहीं था फिर भी अधी0न्याया0 ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री तथा इसकी पालना में की गई तरमीम को निरस्त किया जावे तथा पक्षकारान की उपस्थिति में मौके पर काबिज अनुसार वर्षो पूर्व हुए पारिवारिक बंटवारे के अनुसार उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नक्शे में तरमीम करने का आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 20.12.2011 को अंतिम डिक्री पारित की गई जिसकी पालना में वर्षो पूर्व हुए आपसी बंटवारे के विरूद्ध तरमीम कारित कर दी गई जिससे ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय पट्टे जारी करने के बाद अपीलांटस के पूर्वज हरिनारायण द्वारा मौके पर मुर्तिब पक्का रिहायशी मकान अप्रार्थी संख्या 1 के हक में तरमीम कर दिया गया लेकिन प्रार्थीगण के मन में यह विश्वास रहा कि वर्षो पूर्व हुए आपसी बंटवारे के अनुसार ही बंटवारा करने हेतु सभी पक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की गई थी जिससे उसी अनुसार न्यायालय द्वारा बंटवारा किया गया है एवं त्रुटिपूर्ण तरमीम की कोई जानकारी नहीं हो पाई थी । त्रुटिपूर्ण तरमीम का नाजायज लाभ अर्जित करने के इरादे से रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज हीरालाल उर्फ हरिनारायण के हक में दिनांक 11.10.1972 को जारी पट्टा संख्या 471 तथा दिनांक 21.7.1979 को जारी पट्टा संख्या 646 के विरूद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 97 के तहत अतिरिक्त कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर के समक्ष निगरानी याचिकायें दिनांक 21.1.2014 को पट्टो को निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत की गई । उक्त निगरानी याचिकाओं में प्रार्थीगण द्वारा पैरवी करने हेतु अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद चौधरी को नियुक्त कर रखा है । उक्त निगरानी याचिका में गत पेशी दिनांक 15.9.2015 नियत थी उक्त पेशी पर प्रार्थी संख्या 1 जयपुर अभिभाषक के पास

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थित हुआ जिन्होंने कानूनी सलाह दी गई की अंतिम डिक्री दिनांक 20.12.2011 की अनुपालना में त्रुटिपूर्ण तरमीम कारित कर दी गइ है इसलिये अंतिम आज्ञाप्ति दिनांक 20.12.2011 एवं उसकी पालना में कारित तरमीम के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना उचित रहेगा । तत्पश्चात् अपीलांट ने तरमीम नक्शे की नकलें प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/8 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.12.2011 के विरूद्ध 4 वर्ष के भारी विलंब उपरांत यह अपील पेश की है तथा विलंब के भी समुचित कारण अंकित नहीं किये है । अतः अपील विलंब से पेश किये जाने से मियाद बिन्दू के बिन्दु पर खारिज की जावे । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, मौजमाबाद से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त की है जिस पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है तथा नक्शे कुरेजात अनुसार अधी0न्याया0 के समक्ष वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया था जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद में अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12. 2011 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 1.10.2015 को हस्तगत अपील पेश की है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के कारण अंकित कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 20.12.2011 को अंतिम डिक्री पारित की गई जिसकी पालना में वर्षो पूर्व हुए आपसी बंटवारे के विरूद्ध तरमीम कारित की गई जिससे ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय पट्टे जारी करने के बाद अपीलांटस के पूर्वज हरिनारायण द्वारा मौके पर मुर्तिब पक्का रिहायशी मकान अप्रार्थी संख्या 1 के हक में तरमीम कर दिया गया लेकिन प्रार्थीगण के मन में यह विश्वास रहा कि वर्षो पूर्व हुए आपसी बंटवारे के अनुसार ही बंटवारा करने हेतु सभी पक्षकारान द्वारा सहमति बन गई थी जिससे उसी अनुसार न्यायालय द्वारा बंटवारा किया गया है एवं त्रुटिपूर्ण तरमीम की कोई जानकारी नहीं हो पाई थी । उपरोक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम का नाजायज लाभ अर्जित करने के इरादे से रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज हीरालाल उर्फ हरिनारायण के हक में दिनांक 11.10.1972 को जारी पट्टा संख्या 471 तथा दिनांक 21.7.1979 को जारी पट्टा संख्या 646 के विरूद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 97 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर के समक्ष निगरानी याचिकायें पट्टों को निरस्त कराने हेतु पेश की गई थी । उक्त निगरानी याचिकाओं में प्रार्थीगण ने पैरवी हेतु श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, अधिवक्ता को नियुक्त कर रखा है, जिनसे संपर्क करने पर अधिवक्ता ने सलाह दी की अंतिम डिक्री दिनांक 20.12.2011 की अनुपालना में त्रुटिपूर्ण तरमीम कारित कर दी गई है इसलिये अंतिम डिक्री दिनांक 20.12.2011 एवं उसकी पालना में कारित तरमीम के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना उचित रहेगा । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम कड़वों का बास, तहसील मौजमाबाद स्थित भूमि खतौनी संख्या 15 खसरा नंबर 78 रकबा 0.21 हैं0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजियात है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है । लगान सरकारी अदा करते आ रहे है । वादपत्र के साथ नजरी नक्शा वाद का प्रमुख अंग है । नजरी नक्शे में दर्शाये गये पीले रंग की आराजियात पर वादी एवं गुलाबी रंग की आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व हरे रंग की आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15 काबिज काश्त है । इसी अनुसार तकासमा करवाने के अधिकारी है । प्रतिवादी संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में किसी प्रकार की खोट नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से में आई 3/4 आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है । प्रतिवादी संख्या 1 वादी के हिस्से पर कब्जा नहीं करना चाहता है । प्रतिवादी इसी अनुसार तकासमा करवाना चाहता है लेकिन वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे अनुसार नहीं दर्शाकर अपने नजरी नक्शे में भिन्न दर्शाया है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 तकासमा नहीं करवाकर मौके पर काबिज अनुसार अपने हिस्से का तकासमा करवाना चाहता है । मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया जाता है तो मिन प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है । प्रतिवादी संख्या 12 से 15 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादपत्र इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि वादी ने संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित अपने हिस्से की आराजी में एक चारा का पुख्ता भुसारा 45X9 फुट, एक पुख्ता कमरा 8X8 फुट, एक पुख्ता पानी का गोल होद 8X8 व एक कमरा पुख्ता 4 X 6 फुट बनाकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है, इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 ने संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शित अपने हिस्से की आराजी में एक पुख्ता चारा का भुसारा व तीन पुख्ता कमरे बनाकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है तथा प्रवितादीगण संख्या 12 से 15 संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित हरे रंग से अपने हिस्से की आराजी को पड़त रखकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 28.11.2011 को पारित कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके कब्जे अनुसार तकासमा किया की प्राथमिक डिक्री पारित कर नक्शे कुरेजात तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार, मौजमाबाद को निर्देश दिये । अधी0न्याया0 के निर्देशों की पालना में तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा दिनांक 14.12.2011 को नक्शे कुरेजात मुताबिक मौका कब्जानुसार तैयार करवाकर अधी0न्याया0 को प्रेषित की है । उक्त मौका रिपोर्ट पर सहमति के रूप में वादी रामलाल एवं रेस्पो0 संख्या 6 गोपाल, रेस्पो0 संख्या 13 मगनसिंह, रेस्पो0 संख्या 14 चरणसिंह, रेस्पो0 संख्या 15 मूलचंद एवं रेस्पो0 संख्या 16 जगनसिंह के हस्ताक्षर है । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.12.2011 मुताबिक नक्शे कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद में अंतिम डिक्री पारित की है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. अपीलांटस का कथन है कि अधी0न्याया0 ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.11.2011 द्वारा 1/3, 1/3 हिस्से मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा की प्राथमिक डिक्री पारित की है किन्तु तहसीलदार द्वारा त्रुटिपूर्ण कुर्रेजात

रिपोर्ट तैयार किये जाने कारण अधी0न्याया0 द्वारा खसरा नंबर 78 के तीन हिस्से करते हुए खसरा नंबर 78 रकबा 0.07 है0 हरिनारायण वगैरह के हिस्से में, खसरा नबर 78/1 मगनसिंह वगैरह तथा 78/2 रालपाला के नाम अंकित करते हुए अंतिम आज्ञाप्ति दिनांक 20.12.2011 को पारित की है जिसकी पालना में अधिकार अभिलेख में अंकन किया जाकर मगनसिंह पुत्र चरणसिंह के नाम खसरा नंबर 78/1 के स्थान पर 1392/78 रकबा 0.07 है0 किस्म गैर मुमकिन बाड़ा तथा रामलाल के नाम खसरा नंबर 78/2 के स्थान पर खसरा नंबर 1396/78 रकबा 0. 07 है0 किस्म गै0मु0बाड़ा तथा हरिनारायण वगैरह के नाम खसरा नंबर 78 रकबा 0.07 है0 किस्म गे0मु0बाड़ा अंकित कर दिया गया । नक्शा ट्रेस में उत्तर से दक्षिण की और मेड़ बनाते हुए पश्चिम, मध्य एवं पूर्व की ओर 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार तरमीम करने के बजाय पश्चिम दिशा में चरणसिंह वगैरह के हिस्से की भूमि 78/1 के स्थान पर 1392/78 पूर्व से पश्चिम तक सही तरमीम कर दी गई लेकिन शेष आराजियात के मध्य भाग में रामलाल तथा संपूर्ण पूर्वी 1/3 हिस्से में हरिनारायण अर्थात् शेष 2/3 हिस्सो के मध्य भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर मेड बनाते हुए मेड़ के दोनों ओर 1/3, 1/3 भूमि तरमीम करने के स्थान पर उक्त 2/3 हिस्से के पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य भाग में तरमीम करते हुए खसरा नंबर 78 जो हरिनारायण का हिस्सा है उत्तरी हिस्सा तथा खसरा नंबर 78/2 जो रिकार्ड में 1396/78 अंकित करते हुए उक्त 2/3 हिस्से के दक्षिणी भाग में अंकित कर दिया अर्थात् 2/3 हिस्सा जो चरणसिंह की भूमि के पूर्व दिशा में लगता हुआ है, के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबे दो हिस्से बनाने के बजाये पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य से तरमीम करते हुए 2 हिस्से बना दिये । इसी अनुसार तरमीम कर दिया गया जबकि खसरा नंबर 78 रकबा 0.21 है0 के आपसी पारिवारिक बंटवारे के अनुसार हरिनारायण को पूर्वी 1/3 हिस्सा प्रदान किया गया थ्झा जिस पर हरिनारायण का पक्का मकान मुर्तिब है लेकिन उक्त मकान को नष्ट करने के इरादे से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को त्रुटिपूर्ण रूप से तरमीम मुर्तिब करवा दी गई । ग्राम पंचायत बिचूण द्वारा हरिनारायण के पूर्वी 1/3 हिस्से की भूमि बाबत् दिनांक 11.10.1972 को पट्टा संख्या 471 रकबा 33 गुणा 29 फुट तथा दिनांक 21.7.1979 को रकबा 19 गुणा 29 फुट का पट्टा जारी किया गया जिस पर हरिनारायण द्वारा मकान बनवाये गये लेकिन त्रुटिपूर्ण तरमीम के कारण अपीलांटस का संपूर्ण मकान रामलाल/रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से में तरमीम कर दिया गया है। अधी0न्याया0 को पक्षकारान के मौके पर काबिज अनुसार तथा हरिनारायण को जारी पट्टो को मध्यनजर रखते हुए बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित कर उसी अनुसार तरमीम के आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा ग्राम पंचायत बिचूण द्वारा हरिनारायण के पक्ष में जारी पट्टों को नजरंदाज कर बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की जाकर मौके के विपरीत तरमीम की गई है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.12.2011 निरस्त योग्य पायी जाती है ।

11. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20. 12.2011 को निरस्त किया जाता है तथा निर्णय व डिक्री पालना में तैयार की गई तरमीम निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तहसीलदार से उभयपक्ष की मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवा कर, ग्राम पंचायत द्वारा जारी

पट्टों को मध्यनजर रखते हुए नये सिरे से अंतिम डिक्री पारित कर राजस्व नक्शें में तरमीम करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

निर्णय आज दिनांक 12.3.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर